राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2526/2016

सुनिता भास्कर **–अपीलार्थी**

बनाम

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 23.08.2016 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार किया गया है।
2. हमनें आलौच्य आदेश दिनांक 23.08.2016 का अवलोकन किया।
3. अपीलार्थी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग ने इस आधार पर अस्वीकार किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाहे गए स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक, विज्ञान का रिक्त पद नहीं है। हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं मानते हैं। आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।
4. परिणामस्वरूप अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)